दिनांक 05–01–2013 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में सभी जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिवों एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

1. सूची संलग्न।

2. सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार ने बताया कि पिछले कुछ महिनों से जिलाधिकारियों एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप बिजली की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। जिलाधिकारियों के स्तर पर होने वाली टास्क फोर्स की बैठक में बिजली की समस्याओं को दूर करने हेतु दिये गये एजेण्डे के अनुरूप समीक्षा किया जाना है जिसका मासिक प्रतिवेदन सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी को भेजा जाना है। खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को समय पर बदला जाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार चाहती है कि 06 माह के अन्दर जहाँ भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो उसे निर्धारित अवधि में निश्चित रूप से बदल दिया जा सके। राज्य स्तर पर वितरण ट्रान्सफॉरमर की उपलब्धता बढायी जानी है जिसके लिए 13 नये ट्रान्सफॉरमर रिपेयर वर्कशॉप (TRW) की स्थापना की जा रही है, दो ट्रान्सफॉरमर रिपेयर वर्कशॉप (TRW) का क्षमता विस्तार भी किया जाना है। साथ ही बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. द्वारा पावर/वितरण ट्रान्सफॉरमरों के रिपेयर का कार्य outsource करने की भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि नये पावर/वितरण ट्रान्सफॉरमर खरीदे जाने के लिए योजना मद से निधि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायगा। वितरण ट्रान्सफॉरमरों के भंडारण हेतु भंडारों की संख्या बढ़ायी जानी है एवं यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में कम–से–कम एक ट्रान्सफॉरमर का भंडार हो ताकि विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं द्वारा खराब ट्रान्सफॉरमरों को सुगमता से बदला जा सके।

3. पुराने एवं जर्जर तार को प्राथमिकता के आधार पर बदला जाना है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पुराने एवं जर्जर तार को प्राथमिकता तय करते हुए जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं के तहत रिकंडक्टरिंग का कार्य तत्परतापूर्वक कराया जाना है।

4. राज्य में बिजली की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बिजली चोरी रोके जाने के लिए बड़े पैमाने पर नियमित रूप से छापेमारी करायी जानी है तथा दोषियों के विरूद्ध सख्त–से–सख्त कार्रवाई की जानी है। बिजली चोरों के विरूद्ध की गयी सख्त कार्रवाई के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रेस कॉफ्रेन्स कर प्रचारित किया जाना है।

5. निदेश दिया गया कि सभी जिलाधिकारी राजस्व संग्रहण की समीक्षा अपने स्तर पर नियमित रूप से करें। मीटर पठन, विपत्रीकरण एवं विपत्र वितरण की प्रणाली में किसी प्रकार की

सुधार की आवश्यकता हो तो जिलाधिकारी द्वारा सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. को बताया जाना है।

6. पावर सेक्टर के लिए भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में है। निजी जमीन के अधिग्रहण तथा सरकारी जमीन के हस्तानान्तरण की प्रक्रिया त्वरित की जानी है। यदि किसी पदाधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले को विलम्बित किया जा रहा हो तो उससे संबंधित एक प्रतिवेदन मुख्य सचिव को शीघ्र भेजा जाना है।

7. बिजली से संबंधित समस्याओं के संबंध में बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा जो सूचना जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाती है, जिलाधिकारी मात्र बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दी गयी सूचना पर निर्भर ना रहे बल्कि किसान सलाहकार, मुखिया इत्यादि से भी सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था करें ताकि बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दी गयी सूचना का सत्यापन हो पाये। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उनके स्तर पर होने वाली साप्ताहिक टास्क फोर्स की बैठक में बिजली संबंधित समस्याओं का निदान किया जाना है। जिन समस्याओं का निदान जिलाधिकारी स्तर पर नहीं हो पाता है उन समस्याओं को राज्य स्तरीय विडियो कॉफ्रेन्सिंग में बताया जाना है।

8. सचिव (ऊर्जा) द्वारा बताया गया कि पिछले विडियो कॉफ्रेन्सिंग में प्रमंडलीय स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदत्त करने का मुद्दा आया था। मुख्य सचिव के निदेशानुसार प्रमंडलीय स्तर पर विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदत्त करने संबंधी आदेश बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. द्वारा शीघ्र निर्गत कर दिया जायगा तथा प्रमंडल स्तर पर Accounting Unit की स्थापना कर दी जायगी। शिवहर एवं अरवल जिला मुख्यालय में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता का पदस्थापन कर दिया गया है एवं वे शीघ्र ही पदभारग्रहण कर स्वतंत्र रूप में कार्य करना शुरू कर देंगे।

9. रिकंडक्टरिंग हेतु सामानों की आपूर्त्ति में कमी की बात भी पिछले विडियो कॉफ्रेन्सिंग में उठाया गया था। रिकंडक्टरिंग हेतु फैब्रिकेटेड मैटेरियल महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता के स्तर से उपलब्ध कराया जाना है तथा तार, इनसुलेटर एवं पोल इत्यादि की उपलब्धता बोर्ड मुख्यालय स्तर से किया जाना है। सभी महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता को यह निदेश दिया गया है कि रिकंडक्टरिंग हेतु किसी भी सामान की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी निदेश दिया जा चुका है कि इस कार्य हेतु दो वर्षों के लिए सामानों का भंडारण कर लिया जाना है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से इसका मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि रिकंडक्टरिंग हेतु सामानों की आपूर्त्ति में कमी ना हो। यदि सामानों की आपूर्त्ति में कमी होती है तो सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. को बताया जाना है।

10. नाबार्ड फेज–XI के राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन के कार्यों में धीमी प्रगति से संबंधित मुद्दा पिछले विडियो कॉफ्रेन्सिंग में जिलाधिकारियों द्वारा उठाया गया था। मुख्यालय स्तर पर नाबार्ड फेज–XI के राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन के कार्यों में तेजी लाने हेतु संबंधित एजेन्सियों के साथ दिनांक 22.12.2012 को बैठक किया गया तथा कार्यरत एजेन्सियों से मासिक लक्ष्य लिया गया। जिलाधिकारियों द्वारा नियमित रूप इस कार्य का मॉनिटरिंग किया जाना है।

11. पिछले विडियो कॉफ्रेन्सिंग में जिलाधिकारियों द्वारा बताया गया था कि वितरण ट्रान्सफॉरमर की ढुलाई की दर कम होने के कारण समस्याएँ होती है। इस संबंध में बी.एस.पी.(एच.)सी. एल. द्वारा सुधार कर दिया गया है एवं विद्युत अधीक्षण अभियन्ता को अधिकृत कर दिया गया है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करेंगे कि क्षेत्रीय स्तर पर वितरण ट्रान्सफॉरमर के ट्रान्सपोर्टेशन में कोई समस्या ना रहे।

12. विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधुबनी की जगह नये विद्युत कार्यपालक अभियन्ता की पदस्थापन का आदेश निर्गत कर दिया गया है।

13. जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिले मे पदस्थापित बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. के पदाधिकारी द्वारा यदि काम में रूचि नहीं लिया जा रहा हो तो उनके बारे में रिपोर्ट सचिव(ऊर्जा) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. को शीघ्र भेजा जाना है।

14. जिलाधिकारियों द्वारा चेक–लिस्ट फॉरमेट में रिपोर्ट विडियो कॉफ्रेन्सिंग के पूर्व ऊर्जा सचिव एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 को उनके ई–मेल क्रमशः energy@bihar.gov.in एवं chairmanbaseb@yahoo.co.in पर निश्चित रूप से भेजा जाना था। परन्तु अधिकतर जिलाधिकारियों द्वारा चेक–लिस्ट नहीं भेजा गया। निदेश दिया गया कि अगली बार से निश्चित रूप से सभी जिलाधिकारी द्वारा चेक–लिस्ट फॉरमेट में रिपोर्ट विडियो कॉफ्रेन्सिंग के पूर्व भेजा जाना है ताकि आसानी से समीक्षा किया जा सके।

15. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 ने बताया कि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 29 जिलों के सभी गाँव/टोला के पूर्ण विद्युतीकरण हेतु संशोधित डी.पी.आर. में शामिल गाँवों एवं बसावटों की सूची तैयार कर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 के वेबसाईट www.bseb.bih.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। सभी संबंधित जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने जिला से संबंधित संशोधित डी.पी.आर. को चेक कर लें कि कोई गाँव या टोला छूटा तो नहीं है। यदि कोई गाँव या टोला संशोधित सूची में नहीं है तो उसके संबंध में शीघ्र बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 को बताया जाना है ताकि उसे संशोधित डी.पी.आर. में सम्मिलित किया जा सके। संशोधित डी.पी.आर. का हार्ड कॉपी एवं सी.डी. संबंधित जिले के

जिलाधिकारी को भेज दिया जायगा। शेष जिलों का संशोधित डी.पी.आर. में शामिल गाँव एवं बसावटों की सूची वेबसाईट पर जल्द अपलोड कर दिया जायगा।

16. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 द्वारा बताया गया कि नये साल में जो भी अतिरिक्त वितरण ट्रान्सफॉरमर लगाये जायेगें उसे ए.बी.स्वीच के साथ लगाये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि एल.टी.लाईन में गड़बड़ी होने पर 11 के.वी. फीडर बंद करना नहीं पड़े। पुराने वितरण ट्रान्सफॉरमरों में भी क्रमिक रूप से ए.बी.स्वीच लगाये जाने की योजना है।

17. राज्य के लगभग 5000 ग्राम पंचायतों में अवस्थित सहज वसुधा केन्द्र के साथ, ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र भुगतान में सुविधा के लिए, करार किया गया है। पावर होल्डिंग कम्पनी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं जिलाधिकारी के स्तर से भी इसका पूरा प्रचार किया जाना है ताकि ग्रामीण उपभोक्ता अपने पंचायत में अवस्थित सहज वसुधा केन्द्र जा कर अपने विद्युत विपत्र भी देख सकते हैं तथा विपत्र का भुगतान भी कर सकते हैं।

18. जनता दरबार कनीय विद्युत अभियन्ता से कम्पनी स्तर तक आयोजित किया जाता है जिसके लिए दिन निर्धारित कर दिया गया है। हर स्तर पर निर्धारित दिन जनता दरबार आयोजन संबंधित सूचना सभी जिला पदाधिकारियों को भेज दी गयी हैं। जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि यदि कम्पनी के किसी पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दिन को जनता दरबार का आयोजन नहीं किया जाता है तो शीघ्र उसकी सूचना अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी को दें ताकि उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके।

19. मुजफ्फरपुर जिलाः

19.1 जिले में 63 के.वी.ए. का आठ एवं 100 के.वी.ए. का तीन वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

19.2 जिले में रिकंडक्टरिंग के कार्य में कोई समस्या नहीं है। 33 के.भी. लाईन का 12 कि.मी. एवं 11 के.वी. का 06 कि.मी. रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है।

19.3 185 विद्युत विपत्र बकाये वाले परिसरों का विद्युत संबंध विच्छेद किया गया है। विद्युत चोरी के विरूद्ध आठ छापेमारी किया गया तथा एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है। दो बड़े एच.टी. उपभोक्ताओं के यहाँ छापेमारी किया गया है।

19.4 नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 11 और राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है जिसमें से 06 का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है। दो में विद्युत दोष है जिसे संबंधित विभाग को ठीक कराने का निदेश दिया गया।

19.5 के.बी.यू.एन.एल. के लिए निजी जमीन के मुआवजे का भुगतान प्रगति पर है। शेष बचे हुए जमीन के मुआवजे का भुगतान शीघ्र करा दिया जायगा।

19.6 के.बी.यू.एन.एल. के सरकारी जमीन के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को भेज दिया गया है।

19.7 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में विद्युत सामग्रियों की चोरी के मामले में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गयी है वह बहुत धीमी है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में आरक्षी अधीक्षक से बात हुई है एवं तेजी से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जायगी।

19.8 सर्टिफिकेट केसेस में 05 मामलों में बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है। अन्य मामलों के निष्पादन के लिए 08 जनवरी एवं 22 जनवरी,2013 को अन्तिम सुनवाई तय किया गया है।

19.9 राजस्व संग्रहण में सुधार की जरूरत है।

19.10 जिलाधिकारी द्वारा मुजफ्फरपुर में विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु ATP मशीन की व्यवस्था पर विचार करने का अनुरोध किया गया।

20. पश्चिमी चम्पारण जिलाः

20.1 जिले के शहरी क्षेत्रों में 03 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 35 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है। सप्ताह में मात्र तीन वितरण ट्रान्सफॉरमर की आपूर्त्ति होती है जिससे खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को समय पर बदला जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः वितरण ट्रान्सफॉरमर की आपूर्त्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

20.2 जिले में राजस्व संग्रहण पिछले माह रू0165 लाख की तुलना में रू0 175 लाख हुआ है।

20.3 सर्टिफिकेट केस में दो पर बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि समीक्षा के दौरान यह निदेश दिया गया है कि जिस परिसर पर विद्युत विपत्र का बकाया है उस परिसर में नाम बदल कर विद्युत संबंध लेने के मामलों को गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई की जानी है। धारा–126 के अन्तर्गत कार्रवाई की आवश्यकता है।

20.4 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन एवं मकान का पुनर्मूल्याकंन का काम पूरा हो गया है।

20.5 नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन के कार्य की प्रगति धीमी है। इस माह मात्र एक राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित किया जा सका है तथा उसका संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है।

20.6 जिले में पी.एच.ई.डी. के सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर चालू है।

20.7 जिले में बिजली चोरी के मामले में 18 छापेमारी किया गया है। चार व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं।

20.8 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जिले में लगाये गये 160 वितरण ट्रान्सफॉरमर वारण्टी पिरियड में खराब हुए है जिन्हें बदला जाना है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. द्वारा बताया गया कि संबंधित

एजेन्सी को वारण्टी पिरियड में खराब हुए 16/25 के.वी.ए. के वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदले जाने हेतु निदेश दिया गया है।

20.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ जगह रिकंडक्टरिंग में जहाँ तार बदला गया है वहाँ खराब फिटिंग के कारण ब्रेक डाउन हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि रिकंडक्टरिंग में जहाँ तार बदला जा रहा है वहाँ ब्रेकेट या अन्य फिटिंग जो सही स्थिति में नहीं है उन्हें भी निश्चित रूप से बदला जाना है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. द्वारा महाप्रबन्धक– सह–मुख्य अभियंताओं को निदेश दिया गया कि रिकंडक्टरिंग के लिए फैब्रिकेटेड मैटेरियल का पर्याप्त स्टाक रखें तथा खराब फिटिंग को भी बदलवाएँ।

20.10 जिले में 18 वितरण ट्रान्सफॉरमर की चोरी हो गयी है। निदेश दिया गया कि पुलिस विभाग से मदद लेकर इस पर रोकथाम हेतु अविलंब कार्रवाई की जानी है।

21. पूर्वी चम्पारण जिलाः

21.1 जिले में 31 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है। जिलाधिकारी द्वारा वितरण ट्रान्सफॉरमर की आपूर्त्ति बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।

21.2 जिले में विद्युत आपूर्त्ति 06 घण्टा नियमित रूप से हो रहा है। शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्त्ति ठीक है। मोतीहारी शहर में विद्युत आपूर्त्ति और बढ़ाये जाने का अनुरोध जिलाधिकारी द्वारा किया गया।

21.3 जिले के विपत्रीकरण एवं विपत्र वितरण ऐजेन्सी का कंट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। नई एजेन्सी की नियुक्ति कर दी गयी है जो इस माह से कार्य शुरू कर देगा।

21.4 जिले में इस माह 281 लाख रूपये का राजस्व संग्रहण हुआ है। इसमें सुधार हेतु जिलाधिकारी स्तर पर विशेष रूप से मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है।

21.5 नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन के कार्य की प्रगति में थोड़ा सुधार हुआ है। अभीतक 18 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है। एजेन्सी द्वारा मार्च,2013 तक सभी राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर देने का लक्ष्य दिया गया है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी द्वारा कार्यरत एजेन्सी पर दबाव बना कर मार्च,2013 तक सभी राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिये जाने के लक्ष्य को पूरा कराया जाना है।

21.6 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के भवनों एवं जमीन का पुनर्मूल्यांकन कर भेज दिया गया है। एक खास जगह के जमीन का पुनर्मूल्यांकन किया जाना शेष है जिसे शीघ्र भेज दिया जायगा।

21.7 जिले के नौ प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध हो गया है।

21.8 सर्टिफिकेट केस में दो मामलों में बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस माह निश्चित रूप से सर्टिफिकेट केस के निष्पादन में तेजी से कार्रवाई की जायगी। जिस परिसर में विद्युत बकाया है उस परिसर में नाम बदल कर विद्युत संबंध देने के मामले में सख्त कार्रवाई की जानी है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे उपभोक्ताओं पर धोखाधड़ी का केस भी किया जाना है तथा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कं0लि0 के क्षेत्रीय पदाधिकारियों जिनके द्वारा बकाये वाले परिसर में विद्युत संबंध दिया गया, उनके विरूद्ध भी सख्त कार्रवाई की जानी है।

22. सीतामढ़ी जिलाः

22.1 जिले में 37 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना आवश्यक है।

22.2 जिले में 82 लाख रूपये राजस्व संग्रहण किया गया है। राजस्व संग्रहण में तेजी लाये जाने हेतु 63 बकायेदारों को विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया है। 20 परिसरों में छापामारी हुआ है तथा सभी 20 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 9.58 लाख रूपये का दण्डात्मक राशि के विरूद्ध 2.12 लाख रूपये की वसूली की गयी है। सरकारी विभागों के यहाँ रू0 3.29 करोड़ विद्युत विपत्र का बकाया है। सरकारी विभागों से विद्युत विपत्र के बकाये राशि के भुगतान हेतु प्रयास किया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिन विभागों पर बिजली विपत्र का बकाया है उनको आवश्यक राशि की उपलब्धता के लिए पत्र लिखना है ताकि सरकार आवश्यकतानुसार निधि का आवंटन उस विभाग को कर देगी।

22.3 नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 104 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसके विरूद्ध 69 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर 33 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को हस्तगत करा दिया गया है। 06 राजकीय नलकूपों में यांत्रिक दोष पाया गया जिसमें से तीन का यांत्रिक दोष दूर कर दिया गया है । 58 राजकीय नलकूपों में विद्युत दोष पाया गया था जिसमें से 10 राजकीय नलकूपों का विद्युत दोष दूर कर दिया गया है। महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्तता को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से इसकी जाँच कर सभी विद्युत दोषों को शीघ्र दूर करायें। विद्युत कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी का कार्यकलाप असंतोषप्रद है। इन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जानी है।

22.4 जिले में सभी जगहों पर 15 घण्टा बिजली मिल रही है। इधर कुछ दिनों से बिजली की आपूर्त्ति में कमी आयी है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी. (एच.)सी.एल. द्वारा बताया गया कि पिछले एक सप्ताह से बिजली की उपलब्धता में कमी हो गयी है।

22.5 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अस्तियों का पुनर्मुल्यांकन कर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को भेज दिया गया है।

22.6 जिले के समस्तीपुर ग्रीड में में 50 एम.वी.ए. का ग्रीड ट्रान्सफॉरमर अधिष्ठापित कर दिया गया है।

22.7 जिले में सर्टिफिकेट केस के निष्पादन में प्रगति नहीं है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी इसमें विशेष रूचि ले कर इसका त्वरित निष्पादन की कार्रवाई करें।

22.8 जिले में billing efficiency एवं मीटर पठन की स्थिति ठीक नहीं पायी गयी। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी कार्यरत एजेन्सी के साथ इसकी समीक्षा कर इसे ठीक करायेंगे। इसके बावजूद यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो कार्यरत एजेन्सी को हटा कर नयी एजेन्सी नियुक्त किया जाना है।

22.9 जिले के परसौन एवं बखरा प्रखंड में नये पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलबध नहीं है। निजी जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा। शीघ्र जमीन चिन्हित कर लिया जायगा।

23. शिवहर जिलाः

23.1 जिले में चार वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसमें से एक वितरण ट्रान्सफॉरमर 06 माह से खराब है जो अभीतक नहीं बदला गया है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता तत्काल कार्रवाई करेंगे एवं ट्रान्सफॉरमर नहीं बदले जाने से संबंधित मामले की जाँच कर अविलंब रिपोर्ट भेजेंगे।

23.2 जिले में रू0 8.86 लाख का राजस्व संग्रहण हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बहुत सारे उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर नहीं रहने के कारण राजस्व संग्रहण में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी. (एच.)सी.एल. द्वारा बताया गया कि जिले में 16700 उपभोक्ता हैं जिनमें से 11000 मीटरीकृत उपभोक्ता एवं 5640 अमीटरीकृत उपभोक्ता है। अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का भी विपत्रीकरण औसत/मिनीमम के आधार पर किया जाना है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि जिलाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे कि उनके जिले में कितनी बिजली की आपूर्त्ति की गयी जिसके विरूद्ध कितनी बिजली का विपत्रीकरण किया गया तथा कितना राजस्व संग्रहण हुआ।

23.3 जिले में मीटर रिडिंग/विपत्रीकरण एजेन्सी कार्यरत नहीं है। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि 15 दिनों के अन्दर नया एजेन्सी रख लिया जायगा।

23.4 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति बहुत खराब हैं रू0 14 लाख assessment के विरूद्ध मात्र रू0 7.47 लाख की वसूली हुई है।

24. वैशाली जिलाः

24.1 उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में तीन घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

24.2 जिले में 24 वितरण ट्रान्सफॉरमर (100 के.वी.ए. का 11 एवे 63 के.वी.ए. का 13) खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने का अनुरोध किया गया।

24.3 चाँदी मे 11के.वी. लाईन का ROW की समस्या का निदान इस माह कर दिया जायगा।

24.4 20 सर्टिफिकेट केस के ममाले में नोटिश निर्गत कर दिया गया है। बहुत से मामले में पता अधूरा है जिसे पूरा कराया जा रहा है तत्पश्चात् नोटिश निर्गत करने की कार्रवाई की जायगी।

24.5 दिसम्बर,2012 में बिजली चोरी के मामले में 38 व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है जिसमें रू0 20 लाख की दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 4.92 लाख की वसूली हो चुकी है।

24.6 राजस्व संग्रहण में सुधार हुआ है।

24.7 एल.टी.लाईन के रिकंडक्टरिंग में प्रगति नहीं है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी प्राथमिकता तय कर रिकंडक्टरिंग का कार्य करवायें तथा इसकी समीक्षा करें।

24.8 जिले के पाँच प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण किया जाना था जिसमें से तीन प्रखंडों में भूमि अधिग्रहण का कार्य हो गया है। सहदेई बुजुर्ग में पावर सब–स्टेशन के लिए जमीन की उपयुक्तता जल्द तय की जानी है। देसरी में भी जमीन विवादित है तथा अनधिकृत रूप से राइस मील खोल दिया गया है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि जिलाधिकारी एक सप्ताह के अन्दर उपयुक्त जमीन चिन्हित कर अधिग्रहण की कार्रवाई करें।

24.9 सचिव (ऊर्जा) ने बताया कि जिला में तीन वितरण ट्रान्सफॉरमर एवं एक किलोमीटर कंडक्टर की चोरी हुई है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी आरक्षी अधीक्षक से बात कर सख्त कार्रवाई करवायें।

25. आयुक्त, मुजफ्फरपुर प्रमंडल द्वारा बताया गया कि Meter Reading efficiency बहुत खराब है। वितरण ट्रान्सफॉरमर से जुड़े सभी उपभोक्ताओं का कितनी बिजली का विपत्र बन रहा है तथा उस वितरण ट्रान्सफॉरमर को कितनी बिजली की आपूर्त्ति हो रही है इसका विश्लेषण किया जाना जरूरी है। मुख्य सचिव ने कहा कि मुजफ्फरपुर शहर के 10 वितरण ट्रान्सफॉरमर जिसमें मीटर लगा हो उसका मीटर रिडिंग मगवाँयें तथा उन वितरण ट्रान्सफॉरमरों के उपभोक्ताओं को कितनी बिजली खपत के लिए विपत्रीकरण किया जा रहा है इसका विवरण संबंधित कनीय विद्युत अभियन्ता से प्राप्त कर आयुक्त, मुजफ्फरपुर प्रमंडल विश्लेषण कर रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजें।

26. मुजफ्फरपुर जिले का बड़े बकायेदारों के विरूद्ध लम्बित सर्टिफिकेट केस का मॉनिटरिंग आयुक्त स्तर पर की जा रही है।

27. सारण जिलाः

27.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। अमनौर एवं एकमा प्रखंड में बिजली की आपूर्त्ति 05 घण्टा से कम अवधि के लिए होती है।

27.2 जिले में अभी 36 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है। इसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

27.3 बिजली चोरी के मामले में 61 जगहों पर छापेमारी की गयी जिसमें से 30 प्राथमिकी दर्ज किया गया हैं। रू0 20.80 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 5.70 लाख की वसूली की गयी है।

27.4 विद्युत विपत्र बकाये की वसूली में तेजी आयी है तथा रू0 3.15 करोड़ की वसूली की गयी है। कुल लम्बित बकाया करीब रू0 20 करोड़ है।

27.5 जिले के चार प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन का निर्माण किया जाना है जिसमें से तीन जगहों पर जमीन उपलब्ध करा दिया गया है। जलालपुर प्रखंड में निजी जमीन के अधिग्रहण हेतु राशि उपलब्ध की जानी है।

27.6 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन का पुनर्मूल्यांकन हो गया है एवं भवनों का एक सप्ताह के अन्दर पुनर्मूल्यांकन कर भेज दिया जायगा।

27.7 रिकंडक्टरिंग की प्रगति पर निगरानी रखी जानी है।

27.8 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन का कार्य शुरू नहीं हुआ है। सचिव (ऊर्जा) द्वारा बताया गया कि संबंधित एजेन्सी का कंट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। नये एजेन्सी की नियुक्ति हेतु शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

27.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 30 पुराने राजकीय नलकूपों की मरम्मत का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

27.10 20 सर्टिफिकेट केस दर्ज है परन्तु अधिकांश मामलों में पता अधूरा होने के कारण कार्रवाई संभव नहीं हो पा रहा है।

28. सीवान जिलाः

28.1 जिले में 27 वितरण ट्रान्सफॉरमर (100 के.वी.ए. का 10 एवं 63 के.वी.ए. का 17) खराब है। 63 के.वी.ए. का वितरण ट्रान्सफॉरमर की आपूर्त्ति नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को नहीं बदला जा सका है।

28.2 जिले में दिसम्बर,2012 में 33 के.वी. लाईन का 08 कि.मी., 11 के.वी. लाईन का 2.3 कि.मी. एवं एल.टी.लाईन का 2.8 कि.मी. का रिकंडक्टरिंग किया गया है।

28.3 जिले में विद्युत आपूर्त्ति कम हो रही है। बिजली आपूर्त्ति बढ़ाये जाने का अनुरोध जिलाधिकारी द्वारा किया गया।

28.4 जिलाधिकारी द्वारा रघुनाथपुर पावर सब–स्टेशन का 1.6 एम.वी.ए. पावर ट्रान्सफॉरमर की जगह 05 एम.वी.ए. पावर ट्रान्सफॉरमर लगाये जाने का अनुरोध किया गया।

28.5 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में 19 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

29. गोपालगंज जिलाः

29.1 जिले में विद्युत आपर्त्ति में सुधार हुआ है।

29.2 जिले में 25 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

29.3 मीरगंज फीडर से शहरी क्षेत्र को अलग किया जाना था। शहरी फीडर अलग कर दिया गया है तथा उसे चार्ज कर दिया गया है। मीरगंज ग्रामीण फीडर को अलग करने हेतु पोल की व्यवस्था कर दी गयी है। शेष सामानों की आपूर्त्ति किया जाना है। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति अंचल, छपरा द्वारा बताया गया कि 31.01.2013 तक कार्य पूरा करा दिया जायगा।

29.4 जिले में माह दिसम्बर,2012 में बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में 28 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। रू0 4.32 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 3.77 लाख की वसूली की गयी है।

29.5 जिले में 04 सर्टिफिकेट केस का निष्पादन हुआ है जिसमें रू0 9.0 लाख की वसूली की गयी है। 14 मामलों में बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है।

29.6 जिले में रू0 1.22 करोड़ का राजस्व संग्रहण हुआ है।

29.7 जिले में विद्युत सामग्रियों की चोरी के चार मामलों में प्राथमिकी दर्ज हुआ है। एक मामले में चार्ज–शीट किया गया है। शेष मामलों में शीघ्र ही चार्ज–शीट करने की कार्रवाई की जायगी।

30. दरभंगा जिलाः

30.1 जिले में 15 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस माह के अन्त तक जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों को बदल दिया जायगा।

30.2 जिलाधिकारी द्वारा जिले में बिजली की आपूर्त्ति बढ़ाने का अनुरोध किया गया।

30.3 मीटर रिडिंग एवं विपत्रीकरण हेतु एजेन्सी की पहचान कर ली गयी है तथा अगले माह से मीटर रिडिंग एवं विपत्रीकरण के कार्य में सुधार हो जायगा।

30.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 207 कि.मी. (शहरी क्षेत्र में 14 कि.मी. एवं ग्रामीण क्षेत्र में 193 कि.मी.) तार बदले जाने हेतु प्राथमिकता तय कर दिया गया है। तार की अनुपलब्धता के कारण कार्य बाधित है। सचिव (ऊर्जा) द्वारा मुख्य अभियन्ता

(भंडार एवं क्रय) को कड़ा निदेश दिया गया कि संबंधित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।

30.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पंडासराय पावर सब–स्टेशन में 05 एम.वी.ए. का पावर ट्रान्सफॉरमर स्थापित है। अनुरोध किया गया कि एक अतिरिक्त 05 एम.वी.ए. का पावर ट्रान्सफॉरमर लगाया जाय।

30.6 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 95 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 33 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है एवं इस माह 10 और राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया जायगा।

31. मधुबनी जिलाः

31.1 जिले में 16 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना आवश्यक है।

31.2 जिले में बिजली चोरी में 11 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा एक गिरफ्तारी भी हुआ है। रू0 1.24 लाख की वसूली की गयी है।

31.3 जिले के सर्टिफिकेट केस से संबंधित सेक्शन में आग लग जाने के कारण सभी कागजात जल गये हैं। बिजली ऑफिस से संबंधित कागजात उपलब्ध करा कर सभी मामलों को reconstruct किया जाना है। महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता को निदेश दिया गया कि मधुबनी जिला के सर्टिफिकेट केस से संबंधित सभी कागजातों की छाया–प्रति शीघ्र जिलाधिकारी, मधुबनी को उपलब्ध करा दिया जाना है।

31.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि झंझारपुर विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता नहीं हैं। इनका शीघ्र पदस्थापन किये जाने का अनुरोध जिलाधिकारी द्वारा किया गया।

31.5 जिले में रू0 1.97 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया है।

31.6 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 100 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 63 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित है जिसमें से 53 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन कराया गया। 20 ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है तथा 33 राजकीय नलकूपों में विद्युत दोष पाया गया। महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता, दरभंगा द्वारा बताया गया कि 14 राजकीय नलकूपों का विद्युत दोष दूर कर दिया गया है। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, दरभंगा द्वारा शीघ्र तमाम विद्युत दोषयुक्त नलकूपों को ठीक करवाया जाना है।

31.7 पी.एच.ई.डी. के खजौली का वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है उसे शीघ्र बदला जाना है।

32. समस्तीपुर जिलाः

32.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

32.2 मोहनपुर ग्रीड सब–स्टेशन एवं दलसिंगसराय ग्रीड सब–स्टेशन में विद्युत की आपूर्त्ति बढ़ायी जानी है।

32.3 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा 135 के अन्तर्गत 29 एवं धारा 126 के अन्तर्गत एक प्राथमिकी दर्ज किया गया है। रू013.50 लाख के दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 4.50 लाख की वसूली की गयी है।

32.4 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 128 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 86 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित कर दिये गये हैं। नलकूप का जो कार्य कराया गया है उसमें से अधिकतर में बोरिंग एवं मोटर खराब हो गया है।

32.5 मोहनपुर प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ग्रामीण द्वारा जमीन दान में दिया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधिग्रहण हेतु औपचारिकता एक सप्ताह में पूरा कर लिया जायगा।

32.6 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अस्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर भेज दिया गया है।

32.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का संशोधित डी.पी.आर. ई–मेल पर प्राप्त हो गया है जिसकी प्रति सभी अंचलाधिकारी को भेज दी गयी है ताकि डी.पी.आर. में छूटे हुए गाँव एवं टोला का पता चल सके।

32.8 जिले के राजस्व संग्रहण हेतु रू0 5.00 करोड़ के assessment के विरूद्ध रू0 3.85 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया है। निदेश दिया गया कि राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जाना है।

33. सहरसा जिलाः

33.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली आपूर्त्ति की जा रही है। पतरघाट प्रखंड में साढ़े तीन घंटा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है। विद्युत अधीक्षण अभियंता, सहरसा द्वारा बताया गया कि तार बदलवाया जा रहा है जिससे पतरघाट प्रखंड में विद्युत आपूर्ति में सुधार हो जायगा।

33.2 जिले में आठ वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना आवश्यक है।

33.3 जिले में रिकंडक्टरिंग कार्य में प्रगति धीमी है। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, सहरसा द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी द्वारा तय किये गये प्राथमिकता के अनुसार रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जा रहा है।

33.4 बिजली चोरी के विरूद्ध 08 जगहों पर छापेमारी की गयी तथा प्राथमिकी दर्ज किया गया। रू0 1.15 लाख की वसूली की गयी।

33.5 सर्टिफिकेट केस के निष्पादन हेतु एक सप्ताह में कार्रवाई की जायगी।

33.6 जिले में रू0 94.70 लाख राजस्व–संग्रहण हुआ है। राजस्व–संग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है। निदेश दिया गया कि राजस्व–संग्रहण में निश्चित रूप से सुधार किया जाना है।

33.7 शत–प्रतिशत मीटरीकृत उपभोक्ताओं का मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है।

34. मधेपुरा जिलाः

34.1 जिले में छः वितरण ट्रांसफार्मर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना आवश्यक है।

34.2 जिले में पिछले तीन महीने से रिकंडक्टरिंग का कार्य बंद है। जिलाधिकारी द्वारा जर्जर तार बदले जाने हेतु दुर्घटना संभावित जगहों को चिन्हित कर प्राथमिकता तय कर दिया गया है। विद्युत कार्यपालक अभियंता, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कंडक्टर मिल गया है एवं इस सप्ताह से रिकंडक्टरिंग का कार्य चालू कर दिया जायगा। निदेश दिया गया कि महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता निगरानी रखकर जल्द से जल्द रिकंडक्टरिंग का कार्य करवायगें ।

34.3 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी के दौरान 17 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है एवं रू0 7.75 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

34.4 जिले में करीब रू0 68.00 लाख राजस्व–संग्रहण किया गया है। राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जाना है।

34.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 45 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 9 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित कर दिया गया है जिसमें से 4 राजकीय नलकूपों को संयुक्त सत्यापन के उपरांत लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। शेष 36 में कार्य प्रगति पर है।

34.6 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन के मद में रू0 27.00 करोड़ बी0एस0पी0(एच0)सी0एल0 को प्राप्त हुआ है। मुख्य अभियंता (ओ0 एंड एम0) को निदेश दिया गया कि राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन में अतिरिक्त राशि की माँग औचित्य के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर लघु जल संसाधन विभाग को निश्चित रूप से 08.01.2013 तक भेजा जाना है।

34.7 जिले में दर्ज सर्टिफिकेट केस से संबंधित बी0एस0पी0(एच0)सी0एल0 का रजिस्टर अद्यतन नहीं है। इसे अद्यतन कर एक सप्ताह में कार्रवाई शुरू कर दी जायगी।

34.8 जिले में रू0 1.83 करोड़ राजस्व–संग्रहण के assessment के विरूद्ध मात्र रू0 57.00 लाख का राजस्व–संग्रहण किया गया है। राजस्व संग्रहण बढ़ाया जाना है।

35. सुपौल जिलाः

35.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े चार घंटा बिजली की आपूर्ति हो रही है।

35.2 जिले में दो वितरण ट्रांसफार्मर खराब है।

35.3 जिले में दिसम्बर, 2012 में रू0 1.82 करोड़ राजस्व–संग्रहण के assessment के विरूद्ध रू0 1.11 करोड़ का राजस्व–संग्रहण किया गया है।

35.4 त्रिवेणीगंज विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल में मीटर रीडिंग एजेन्सी कार्यरत नहीं है।

35.5 जिले में दिसम्बर, 2012 में विद्युत चोरी के विरूद्ध चलाये गये छापेमारी में धारा 135 के अन्तर्गत 08 एवं धारा–126 के अन्तर्गत 01 मामला दर्ज किया गया है। रू0 1.66 लाख की वसूली की गयी है।

35.6 सर्टिफिकेट केस के मामले में विरपुर अनुमंडल को छोड़कर अन्य मामलों में निलामवाद शाखा के आधार पर रजिस्टर सही कर के बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिये जाने के पश्चात बॉडी वारण्ट निर्गत करने की कार्रवाई की जायगी।

35.7 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 25 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 08 राजकीय नलकूप चालू है। 13 राजकीय नलकूपों में मोटर पम्प नहीं है। चार में मोटर लगा हुआ है परन्तु 25 कि.मी. की दूरी से 11 के.वी. फीडर लाना पड़ेगा जो अव्यवहारिक है। निदेश दिया गया कि उपरोक्त चार राजकीय नलकूपों के संबंध में लघु जल संसाधन विभाग से इसे योजना से हटा दिये जाने हेतु लिखा जाना है।

35.8 छातापुर एवं प्रतापगंज में पावर सब–स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। अक्टूबर, 2012 में ही कार्य पूरा किया जाना था परन्तु अभी तक नहीं हुआ है। कार्यरत एजेन्सी मेसर्स एस.पी.एम.एल. द्वारा छातापुर पावर सब–स्टेशन का लक्ष्य फरवरी,2013 एवं प्रतापगंज पावर सब–स्टेशन का लक्ष्य मार्च,2013 दिया गया है। निदेश दिया गया कि मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण विद्युतीकरण) दोनो जगह का पूर्ण विवरण लेकर सचिव (ऊर्जा) को अगले सप्ताह बतायेंगे।

35.9 विरपुर पावर सब–स्टेशन की क्षमता का विस्तार किया जाना है। मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण विद्युतीकरण) द्वारा बताया गया कि इस माह क्षमता विस्तार का कार्य पूरा हो जायगा।

35.10 जिले में विद्युत सामग्रियों की चोरी के कई मामले है। मेसर्स एस.पी.एम.एल. द्वारा 28 चोरी का मामला दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में आरक्षी अधीक्षक से बात की गयी है। वार्त्ता के क्रम में यह पता चला कि संबंधित एजेन्सी की संलिप्तता है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसकी जाँच की जाय और यदि ऐसा पाया जाता है तो कम्पनी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है।

36. पूर्णियाँ जिलाः

36.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े पाँच घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

36.2 जिले में 63 के.वी.ए. का एक वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है।

36.3 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 16 एवं धारा–126 के तहत 01 मामला दर्ज किया गया है।

36.4 राजकीय नलकूपों के वितरण ट्रान्सफॉरमर एवं तार की चोरी का मामला सामने आया है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी आरक्षी अधीक्षक से बात कर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाये।

36.5 सर्टिफिकेट केस के टॉप 20 ममाले में से एक केस का पूरा पैसा जमा हो गया है। सूचना तामिला के लिए 05 मामला लम्बित है।

36.6 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अस्तियों का पुनर्मूल्यांकन 12.01.2013 तक पूरा कर लिया जायगा।

36.7 पूर्णियाँ–मधेपुरा संचरण लाईन के सारे ROW की समस्या का समाधान कर दिया गया है।

36.8 जिले के 09 प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है। पाँच प्रखण्डों में गैरमजरूआ जमीन का प्रस्ताव एक सप्ताह में भेज दिया जायगा। तीन प्रखण्डों में गैरमजरूआ खास जमीन चिन्हित कर लिया गया है तथा एक प्रखंड में सरकारी जमीन चिन्हित कर लिया गया है।

36.9 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 51 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 36 ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है जिसमें से 23 राजकीय नलकूप चालू स्थिति में है। आठ में विद्युत दोष एवं पाँच में यांत्रिक दोष है जिसे संबंधित विभागों द्वारा दूर कराया जा रहा है।

36.10 जिले में 22 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्त्ति के विरूद्ध 12 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण हो रहा है। इसमें अविलंब सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

37. कटिहार जिलाः

37.1 जिले में 05 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसमें कदवा का 63 के.वी.ए. का वितरण ट्रान्सफॉरमर की चोरी हो गयी है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि वितरण ट्रान्सफॉरमर की चोरी करने वाले गैंग की पहचान पुलिस द्वारा कर उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है।

37.2 15 परिसरों का निरीक्षण किया गया। धारा–135 के तहत 11 मामले दर्ज किये गये जिसमें रू0 5.53 लाख का जुर्माना किया गया।

37.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस छोटे–छोटे बकायेदारों के विरूद्ध किया गया है उसमें से 06 मामले का निष्पादन करा दिया गया है। बताया गया कि विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में रू0 5.00 लाख से अधिक राशि के बकायेदार हैं जिनके विरूद्ध सर्टिफिकेट केस नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता सभी बड़े बकायेदारों के विरूद्ध सर्टिफिकेट केस किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

37.4 समेली प्रखंड में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु रैयती जमीन के अधिग्रहण हेतु रू0 1.98 लाख की माँग की गयी है।

38. अररिया जिलाः

38.1 जिले में दो वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है।

38.2 दिसम्बर,2012 में जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध 08 प्राथमिकी दर्ज किया गया जिसमें रू0 5.70 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

38.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर रिडिंग के पश्चात् विपत्रीकरण कार्य पटना में किया जाता है तथा विपत्र में त्रुटि होने पर उसके निराकरण में समस्या उत्पन्न होती है अतः विपत्रीकरण का कार्य जिला मुख्यालय में ही कराया जाय।

38.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री गुंजन कुमार, कनीय विद्युत अभियन्ता एक साल से कार्य से अनुपस्थित हैं। इनके स्थान पर किसी अन्य कनीय विद्युत अभियन्ता का पदस्थापन किया जाय।

38.5 जिले के 06 प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि की आवश्कता है। पाँच प्रखंडों में जमीन मिल गया है तथा प्रस्ताव भेज दिया गया है। एक प्रखंड में भूमि अधिग्रहण हेतु रू0 8.50 लाख की जरूरत है।

38.6 जिले में रिकंडक्टरिंग का कार्य कंडक्टर एवं अन्य सामग्रियों की कमी के कारण ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीकेदार के विपत्रों का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है जिसके कारण भी कार्य बाधित है। निदेश दिया गया कि महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता इसकी जाँच कर शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करें। भविष्य में सामग्रियों की कमी के कारण रिकंडक्टरिंग का कार्य बाधित होता है तो महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता स्तर से लेकर विद्युत कार्यपालक अभियता स्तर तक के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी तय कर सख्त कार्रवाई की जानी है।

38.7 सर्टिफिकेट केस में नाम एवं पता सही नहीं होने के कारण कार्रवाई करना संभव नहीं हो पा रहा था। सही पता निलामवाद पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। सर्टिफिकेट केस के निष्पादन की कार्रवाई शुरू कर दी जायगी।

38.8 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 38 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 17 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। 05 राजकीय नलकूपों में

मोटर नहीं लगा है। निदेश दिया गया कि कार्यरत एजेन्सी से बात कर राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन के कार्य में तेजी लाया जाना है।

38.9 पी.एच.ई.डी. के 15 जलापूर्त्ति पम्पों को चालू किया जाना था जिसमें से 10 जलापूर्त्ति पम्प चालू कर दिया गया है। दो जलापूर्त्ति पम्पों के लिए मैटेरियल आवंटित हो गया है जिसे 15 दिनों के अन्दर चालू कर दिया जायगा।

38.10 महाल गाँव के जमीन का धारा 7/17 की कार्रवाई हो गयी है। जमीन पर दखल–कब्जा शीघ्र दिला दिया जायगा।

39. किशनगंज जिलाः

39.1 जिले में एक वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है।

39.2 ठीकेदार के विपत्र का भुगतान नहीं होने के कारण रिकंडक्टरिंग का कार्य बाधित था। ठीकेदार का पार्ट पेमेन्ट हो गया है एवं रिकंडक्टरिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है।

39.3 17 परिसरों का निरीक्षण किया गया एवं धारा–135 के तहत 12 एवं धारा–126 के तहत 05 मामले दर्ज किये गये।

39.4 सर्टिफिकेट केस के तीन मामलों में बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है। 10 मामलों में जबाव दिया गया है जिसपर बिजली कार्यालय से प्रतिवेदन माँगा गया है।

39.5 जिले में विपत्रीकरण एजेन्सी का कार्य संतोषजनक नहीं है। तीन विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में अलग–अलग विपत्रीकरण एजेन्सी नियुक्त किया जा रहा है।

39.6 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 95 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। अभीतक मात्र 07 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है।

39.7 जिले में एक सहायक विद्युत अभियन्ता एवं दो कनीय विद्युत अभियन्ता का पद रिक्त है। बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. द्वारा बताया गया कि अगले सप्ताह तक तीनो रिक्त पदों को भर दिया जायगा।

39.8 निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी राजस्व–संग्रहण में सुधार हेतु कार्रवाई करें।

40. आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल द्वारा बताया गया कि 90–95 प्रतिशत सरकारी कार्यालयों/ आवासों में इनर्जी मीटर नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि एक महीने के अन्दर सभी सरकारी कार्यालयों/ आवासों में इनर्जी मीटर लगाया जाय।

41. नालन्दा जिलाः

41.1 जिले में जो वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होता है उसे तुरत बदल दिया जा रहा है।

41.2 रिकंडक्टरिंग के लिए प्राथमिकता तय कर दिया गया है एवं पुराने एवं जर्जर तार बदला जा रहा है।

41.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राजस्व–संग्रहण में सुधार हुआ है। सचिव (ऊर्जा) द्वारा बताया गया कि राजस्व–संग्रहण में और सुधार की आवश्यकता है, रू0 5.01

करोड़ के assessment के विरूद्ध रू0 3.66 करोड़ का राजस्व संग्रहण हुआ है। जिले में कुल बिजली आपूर्त्ति का 70 प्रतिशत बिजली का ही विपत्रीकरण हो रहा है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर पर इसका मॉनिटरिंग करें।

41.4 सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई में प्रगति है।

41.5 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 116 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 56 राजकीय नलकूप चालू है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यरत एजेन्सी का कार्य धीमा है। सचिव (ऊर्जा) द्वारा बताया गया कि दिनाक 22–12–2012 को एजेन्सी के साथ बैठक में मार्च,2013 तक सभी राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिये जाने का लक्ष्य एजेन्सी द्वारा दिया गया है।

42. भोजपुर जिलाः

42.1 जिले के शहरी क्षेत्र का कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र का तीन वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है।

42.2 जिले में रू0 3.85 करोड़ का राजस्व–संग्रहण हुआ है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से राजस्व–संग्रहण का मॉनिटरिंग कर सुधार लाए।

42.3 विद्युत चोरी के विरूद्ध किये गये छापेमारी में 22 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

42.4 ए.डी.बी. योजना के अन्तर्गत आरा शहर शामिल है। जिलाधिकारी अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर आरा शहर की विद्युत संबंधी सारी समस्याओं का निदान करा लें।

42.5 जिलाधिकारी, भोजपुर द्वारा चेक–लिस्ट अधूरा भेजा गया है। भविष्य में जिलाधिकारी चेक–लिस्ट में पूरा विवरण दिया करेंगे।

43. रोहतास जिलाः

43.1 जिले में 26 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है। अधिक संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर की खराबी तथा मानीटरिंग के अभाव के लिए विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, सासाराम से स्पष्टीकरण पूछा जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि रोहतास में वितरण ट्रान्सफॉरमर की आपूर्त्ति गया टी0आर0डब्ल्यू0 से की जाती है और आवश्यकतानुसार ट्रान्सफॉरमर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। मुख्य परियोजना प्रबंधक (तकनीकी सेवाएँ) अविलंब क्वालिटी का चेक करवाएंगे तथा ट्रान्सफार्मर रिपेयर वर्कशाप, गया से मरम्मत किये गये ट्रान्सफार्मर की उपलब्धता रोहतास जिले के लिए सुनिश्चित करेंगे।

43.2 सासाराम शहर के पेय जलापूर्त्ति हेतु डेडीकेटेड फीडर की आवश्यकता है। डेडीकेटेड फीडर हेतु खर्च का वहन पी.एच.ई.डी. द्वारा किया जाना है।

43.3 जिले में एक घर के ऊपर से 11 के.वी. लाईन जाने के कारण विद्युत स्पर्शाघात की घटना हुई है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि वैकल्पिक रूट से तार को ले जाया जाना है। जिलाधिकारी रूट चिन्हित कर दें ताकि तार shift किया जा सके।

43.4 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 56 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 41 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। 08 राजकीय नलकूपों में बिजली दोष पाया गया है जिसे शीघ्र ठीक किया जाना है। 09 राजकीय नलकूपों में यात्रिक दोष है तथा 24 चालू स्थिति में है। शेष राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन का कार्य प्रगति पर है। कार्यरत एजेन्सी द्वारा 15.01.2013 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

43.5 सर्टिफिकेट केस के निपटारे हेतु एक सर्टिफिकेट ऑफिसर को नामित किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बिजली विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बकाए की स्थिति में सर्टिफिकेट केस फाईल करने के लिए कहा गया है।

44. बक्सर जिलाः

44.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घंटा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

44.2 जिले में 63 के.वी.ए. का 22 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि 63 के.वी.ए. का वितरण ट्रान्सफॉरमर जहाँ बार–बार खराब हो रहा है वहाँ विद्युत कार्यपालक अभियन्ता जाँच करें कि ट्रान्सफॉरमर क्यों बार–बार खराब हो रहा है। यदि वहाँ वितरण ट्रान्सफॉरमर ओवरलोडेड है तो उसे उच्च क्षमता के वितरण ट्रान्सफॉरमर से बदला जाना है।

44.3 जिले में रिकंडक्टरिंग हेतु 39 जगह चिन्हित कर दिया गया है। सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसके कारण रिकंडक्टरिंग का कार्य बाधित है। रैबिट कंडक्टर की जरूरत है जो केन्द्रीय भंडार में उपलब्ध नहीं है। रैबिट कंडक्टर शीघ्र उपलब्ध कराया जाना है। महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय विद्युत आपूर्त्ति क्षेत्र द्वारा अपेक्षित निगरानी नहीं रखी जा रही है। उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाना है।

44.4 विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी में 06 प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

44.5 जिले में रू0 2.48 करोड के assessment के विरूद्ध रू0 1.30 करोड राजस्व संग्रहण किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राजस्व संग्रहण में और तेजी लायी जायगी।

44.6 सर्टिफिकेट केस के बड़े देनदार के मामले में बॉडी वारण्ट किया गया है।

44.7 जिले के चक्की एवं केसठ प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है। चक्की प्रखंड में सरकारी जमीन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। केसठ प्रखंड में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। निधि उपलब्ध हो जाने पर प्रस्ताव भेज दिया जायगा।

44.8 जिलाधिकारी द्वारा राजपुर पावर सब–स्टेशन को चालू करने का अनुरोध किया गया।

44.9 जबही दियारा के ROW की समस्या का समाधान करा दिया गया है। पी.जी.सी. आई.एल. द्वारा अभीतक कार्य शुरू नहीं किया गया है।

44.10 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 92 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 51 राजकीय नलकूपों को ऊजान्वित कर दिया गया है जिसमें 35 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 23 का संयुक्त सत्यापन किया गया है जिसमें से 04 में विद्युत दोष एवं 04 में यांत्रिक दोष है जिसे ठीक करने हेतु संबंधित विभाग को कहा गया है।

44.11 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. द्वारा बताया गया कि गंगा वाटर पम्प हाउस के लिए इटाढ़ी पावर सब–स्टेशन से अलग फीडर बनाया जा रहा है।

45. कैमूर जिलाः

45.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में लगभग तीन घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

45.2 जिले में 27 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

45.3 विद्युत चोरी के विरूद्ध 15 छापेमारी किया गया जिसमें 09 प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

45.4 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 94 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 13 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। दिनांक 22–12–2012 को पटना में एजेन्सी के साथ हुई बैठक में राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित कर दिये जाने का लक्ष्य एजेन्सी द्वारा दिया गया था। निदेश दिया गया कि एजेन्सी पर दबाव बना कर लक्ष्य के अनुसार राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कराया जाना है।

45.5 पटना में आयोजित उद्यमी पंचायत में कैमूर जिला में मेसर्स रूची सोया के लिए किये जा रहे विद्युतीकरण में 33 के0वी0 लाईन में ROW की समस्या के संबंध में बताया गया था। कर्मनाशा ग्रीड सब–स्टेशन से रूची सोया, दुर्गावती तक 33 के0वी0 लाईन का निर्माण हो रहा है जो महमूदगंज के ग्रामीणों द्वारा बाधित कर

दिया गया है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी अपने स्तर से ROW की समस्या का निदान शीघ्र करायेंगे।

46. गया जिलाः

46.1 अपर जिला समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि जिले के शहरी क्षेत्र में एक भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 63 के.वी.ए. का 5 एवं 100 के.वी.ए. का 3 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

46.2 जिले के सभी बड़े बकायेदारों पर सर्टिफिकेट केश किया गया है एवं नोटिश भेज दिया गया है।

46.3 जिले के तीन प्रखंडों यथा नीमचक बथानी,मोहरा एवं मानपुर में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर लिया गया है तथा प्रस्ताव भेजे जाने की प्रक्रिया में है।

46.4 जिला में दिसम्बर,2012 में विद्युत चोरी के विरूद्ध 24 व्यक्तियों पर धारा–135 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है जिसमें रू0 25.80 लाख का जुर्माना लगाया है तथा 38 व्यक्तियों पर धारा–126 के तहत कार्रवाई की गयी है।

46.5 गया जिला से चेक–लिस्ट फॉरमेट में सूचना नहीं भेजी गयी है।

47. औरंगाबाद जिलाः

47.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

47.2 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 06 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

47.3 जिले में 302 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्त्ति के विरूद्ध 167 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण हो रहा है। जिलाधिकारी मॉनिटरिंग कर सुधार करायेंगे।

47.4 नबीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी द्वारा अधिग्रहित जमीन का fencing का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अधिग्रहित जमीन पर रौलर चला कर इसे कृषि के लिए अनुपयुक्त बना दिया जाना है।

48. नवादा जिलाः

48.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े तीन घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

48.2 जिले के शहरी क्षेत्र में मात्र एक वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है।

48.3 जिले के वारसलीगंज में रिकंडक्टरिंग का कार्य चल रहा है।

48.4 विद्युत चोरी के विरूद्ध 16 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है एवं रू0 3.20 लाख की जुर्माना वसूल किया गया है।

48.5 सर्टिफिकेट केस को सूचीबद्ध कर नियमित रूप से सुनवाई हो रही है।

48.6 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 39 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 14 ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है।

48.7 जिलाधिकारी द्वारा बिजली आपूर्त्ति बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।

48.8 विद्युत सामग्रियों की चोरी के मामले पर नियंत्रण पाया जाना जरूरी है। इससे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी आरक्षी अधीक्षक के साथ इस संबंध में बात कर चोरी के मामले में कठोर कार्रवाई करवायें।

48.9 जिले से चेक लिस्ट फॉरमेट में सूचना नहीं भेजी गयी है।

49. जहानाबाद जिलाः

49.1 जिले में 10 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

49.2 रिकंडक्टरिंग कार्य के लिए 45 कि.मी. डॉग तार की आवश्यकता है।

49.3 बंधुगंज, हुलासगंज एवं ओकरी फीडर में ग्रामीणों के विरोध के कारण उपभोक्ताओं के मीटरीकरण कार्य बाधित है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी इस समस्या का शीघ्र समाधान करायेंगे।

50. अरवल जिलाः

50.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

50.2 जिले में 07 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है।

50.3 जिले में बिजली की आपूर्त्ति कम है। जिलाधिकारी द्वारा बिजली आपूर्त्ति बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।

51. आयुक्त, मगध प्रमंडल द्वारा बताया गया कि

(i) औरंगाबाद में बिजली की आपूर्त्ति की समस्या है। गया शहर में भी बिजली आपूर्त्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

(ii) रोड पर बिजली का पोल हटाने के लिए बी.एस.पी.(एच.)सी.एल. के क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा प्राक्कलन बना कर Road Department को भेज दिया गया है परन्तु वहाँ से प्राक्कलन स्वीकृत हो कर नहीं आया है। इस पर तुरत कार्रवाई की जानी है।

(iii) रजौली एवं डोभी चेक–पोस्ट हेतु डेडीकेटड फीडर की आवश्यकता है।

(iv) बोधगया के जितने भी होटल हैं उन सभी का लोड चेक किया जाना आवश्यक है।

52. मुँगेर जिलाः

52.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 06 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

52.2 विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु विशेष धावा दल का गठन कर दिया गया है तथा छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है।

52.3 मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इसका विश्लेषण कर लें कि किस वितरण ट्रान्सफॉरमर पर कितनी बिजली की आपूर्त्ति हो रही है एवं उसके उपभोक्ताओं को कितनी बिजली का विपत्रीकरण हो रहा है तथा कितने राजस्व का भुगतान किया जा रहा है।

52.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि साफियाबाद में 132 के.वी. लाईन में जो ROW है उसका समाधान जल्द कर दिया जायगा।

52.5 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 08 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 04 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है। बचे हुए 04 राजकीय नलकूपों को जल्द ही ऊर्जान्वित कर देने का लक्ष्य एजेन्सी द्वारा दिया गया है परन्तु अभी एजेन्सी द्वारा काम नहीं किया जा रहा है।

52.6 जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु गैरमजरूआ जमीन का प्रस्ताव आयुक्त, मुँगेर को भेज दिया गया है।

52.7 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर भेज दिया गया है।

52.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जमालपुर ग्रीड सब–स्टेशन को बिजली की आपूर्त्ति बढ़ायी जानी है।

53. बेगुसराय जिलाः

53.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में प्रखंडवार 03 से 06 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

53.2 जिले में 18 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

53.3 रिकंडक्टरिंग हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडलवार तय कर दिया गया है।

53.4 28 परिसरों में निरीक्षण किया गया जिसमें 18 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी एवं रू0 15 लाख का जुर्माना लगाया गया। रू05.24 लाख की वसूली की गयी।

53.5 दो सर्टिफिकेट ऑफिसर द्वारा सर्टिफिकेट केस की सुनवाई नियमित रूप से की जा रही है।

53.6 रू05.50 करोड़ राजस्व–संग्रहण के assessment के विरूद्ध रू0 4.20 करोड़ का राजस्व–संग्रहण हुआ है।

53.7 जिले के तीन प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भू–अर्जन किया जाना है। गढ़पुरा एवं मंसूरगंज प्रखंड में जमीन चिन्हित कर लिया गया है। छौड़ाही में जमीन चिन्हित किया जा रहा है।

53.8 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 94 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 30 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है। 16 राजकीय नलकूप चालू स्थिति में है एवं 14 में यांत्रिक दोष है।

53.9 जिले में 255 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्त्ति के विरूद्ध 95 मिलियन यूनिट का ही विपत्रीकरण हो रहा है। निदेश दिया गया कि पहल ले कर विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण बढ़ाया जाना है।

53.10 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 220 के0वी0 D/C बेगुसराय–पूर्णियाँ संचरण लाईन के लोकेशन नं0 40 के ROW की समस्या का समाधान शीघ्र करा दिया जायगा।

54. जमुई जिलाः

54.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

54.2 रिकंडक्टरिंग का कार्य प्रगति में है।

54.3 विद्युत चोरी के विरूद्ध 45 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है एवं करीब रू0 10 लाख का जुर्माना भी किया गया है।

54.4 राजस्व संग्रहण के assessment का 60 प्रतिशत की वसूली की गयी है।

54.5 जिलाधिकारी द्वारा चकाई में विद्युत कम्पनी का प्रशाखा खोले जाने का अनुरोध किया गया।

54.6 132 के.वी. जमुई–शेखपुरा संचरण लाईन में तीन जगहों पर ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जैसे ही कंट्रैक्टर द्वारा कार्य शुरू किया जायेगा ROW की समस्या का तुरत समाधान करा दिया जायगा। पावर ग्रीड को अविलंब काम शुरू करने के लिए कहा जाना है।

55. खगड़िया जिलाः

55.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में तीन घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्त्ति बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।

55.2 जिले में 04 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

55.3 जिले में रिकंडक्टरिंग का कार्य हो रहा है एवं प्राथमिकता तय कर दिया गया है।

55.4 विद्युत चोरी के विरूद्ध लगातार छापेमारी किया जा रहा हैं। 16 व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। रू0 17 लाख जुर्माना के विरूद्ध रू0 2.66 लाख की वसूली की गयी है।

55.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केश का निष्पादन तेजी से करने हेतु सर्टिफिकेट ऑफिसर को निर्देश दे दिया गया है।

55.6 जिलाधिकारी द्वारा खगड़िया पावर सब–स्टेशन में 05 एम.वी.ए. का एक अतिरिक्त पावर ट्रान्सफॉरमर लगाने का अनुरोध किया गया।

55.7 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 11 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 06 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। शेष 05 राजकीय नलकूपों को इस माह ऊर्जान्वित कर दिया जायगा।

56. लखीसराय जिलाः

56.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

56.2 जिले में एक वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है।

56.3 विद्युत विपत्र के बकायदारों के विरूद्ध 20 सर्टिफिकेट केश दर्ज किया गया है।

56.4 विद्युत चोरी के विरूद्ध 16 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी हे।

56.5 बड़हिया में रिकंडक्टरिंग का कार्य चल रहा हैं। उसके बाद लखीसराय में रिकंडक्टरिंग का कार्य शुरू किया जायगा।

56.6 132 के.वी. डबल सर्किट कहलगाँव–सुलतानगंज–लखीसराय संचरण लाईन में चार लोकेशन पर ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसका समाधान शीघ्र करा दिया जायगा।

56.7 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 17 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। तीन राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है।

56.8 पी.एच.ई.डी. के तीन जलापूर्त्ति पम्पों का कार्य 15 दिनों में पूरा करा दिया जायगा।

56.9 ए.डी.बी.सम्पोषित योजना के अन्तर्गत 132 के.वी. bay के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु धारा 7/17 की कार्रवाई जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित हैं। इस पर तुरत कार्रवाई अपेक्षित है।

57. शेखपुरा जिलाः

57.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

57.2 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य है।

57.3 6.5 कि.मी. रिकंडक्टरिंग का कार्य हो गया है। अभी 33 के.वी. लाईन में रिकंडक्टरिंग का कार्य चल रहा है।

57.4 विद्युत चोरी के विरूद्ध धारा–135 के तहत सात व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा रू0 6.5 लाख का जुर्माना किया गया है।

57.5 टॉप 20 सर्टिफिकेट केस को चिन्हित कर बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है।

57.6 जिले में 33.62 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्त्ति के विरूद्ध मात्र 10.42 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण हुआ है।

57.7 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 18 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 13 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। तीन ऐसे नलकूप हैं जहाँ पम्प हाउस नहीं बने हैं।

57.8 जिलाधिकारी द्वारा चेक–लिस्ट नहीं भेजा गया है। इसे ससमय पूरा विवरण के सथ भेजा जाना है।

58. भागलपुर जिलाः

58.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 06 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

58.2 जिले के शहरी क्षेत्र में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में 06 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

58.3 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित करने के लिए दो एजेन्सी कार्यरत है। नवगँछिया क्षेत्र में कार्यरत एजेन्सी को 31.03.2013 तक सभी राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। भागलपुर में 45 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 24 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है।

58.4 विद्युत चोरी के विरूद्ध 24 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। रू0 10.88 लाख का जुर्माना किया गया है जिसके विरूद्ध रू0 5.22 लाख की वसूली की गयी है।

58.5 जिले के चार प्रखण्डों में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु जमीन दे दिया गया है।

58.6 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर भेज दिया गया है।

58.7 पीरपैंती थर्मल पावर स्टेशन हेतु भू–अर्जन से संबंधित 340 एकड़ जमीन का दर निर्धारण दिनाक 11.01.2013 तक कर दिया जायगा। 32 एकड़ गैरमजरूआ खास जमीन का रिकार्ड आयुक्त, भागलपुर को भेज दिया गया है। 57 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव एक सप्ताह में भेज दिया जायगा।

58.8 जिले में 432 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध मात्र 115 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण हो रहा है। विपत्रीकरण पर निगरानी रखी जानी है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि वितरण ट्रान्सफाफरमर–वार बिजली आपूर्त्ति का विश्लेषण

करना होगा कि वितरण ट्रान्सफॉरमर को कितनी बिजली की आपूर्त्ति हो रही है एवं उससे सम्बद्ध उपभोक्ताओं द्वारा कितनी बिजली का खपत हो रहा है इससे पता चल जायगा कि कितनी बिजली की चोरी किस वितरण ट्रान्सफॉरमर से हो रहा है।

58.9 नाथनगर के बुनकरों के यहाँ करीब रू0 300 करोड़ का बकाया है। जिलाधिकारी बुनकरों के साथ बैठक कर विद्युत विपत्र के भुगतान के लिए कार्रवाई करें।

59. बाँका जिलाः

59.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

59.2 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है।

59.3 30 कि.मी. में रिकंडक्टरिंग का कार्य चल रहा है।

59.4 विद्युत चोरी के विरूद्ध चार व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

59.5 टॉप 20 सर्टिफिकेट केस की सूची तैयार कर कार्रवाई की जा रही है।

59.6 90 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध मात्र 10 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण हो रहा है। निदेश दिया गया कि जिले में कार्यरत तीनों विपत्रीकरण एजेन्सियों के साथ बैठक कर विपत्रीकरण के कार्य में सुधार सुनिश्चित करें।

59.7 जिले के फूलीडुमर प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी भूमि के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव आयुक्त, भागलपुर के माध्यम से भेजा गया है।

59.8 जिले में अल्ट्रा मेगा पावर प्लान्ट (UMPP) की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित कर लिया गया है। दिनांक 09–01–2013 को CEA तथा PFC टीम का दौरा होगा।

59.9 नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 08 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। दो राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। शेष में कार्य प्रगति पर है एवं दो सप्ताह के अन्दर सभी राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया जायगा।

60. मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पिछले 03 माह का वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने संबंधी ब्योरा विडियो कॉफ्रेन्सिंग के दौरान रखें।

61. निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी मीटर रिडिंग एवं विपत्रीकरण पर विशेष रूप से मॉनिटरिंग करें ताकि राजस्व संग्रहण बढ़ाया जा सके।

62. खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को शीघ्र बदले जाने पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाना है ताकि 06 माह के अन्दर खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को निर्धारित अवधि में निश्चित रूप से बदल दिया जाना है। ओवरलोडिंग या खराब क्वालिटी के कारण जो वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो रहा है उसका विश्लेषण किया जाना है।

63. बड़े बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेद किया जाना है एवं उनके विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाना है ताकि बकाये का वसूली किया जा सके।

64. रिकंडक्टरिंग या किसी अन्य योजनाओं के तहत कराये जा रहे कार्यों में सामानों की आपूर्ति में कमी नहीं होनी चाहिए।

ह0/–
(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक–प्र02/विविध–वि0को0–19/12– 343 पटना, दिनांक- 17/1/13

प्रतिलिपि :–सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/13
सरकार के उप सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र02/विविध–वि0को0–19/12– 343 पटना, दिनांक–17/1/13

प्रतिलिपि :–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना को सूचनार्थ।

अनुरोध है कि कार्यवाही की प्रति अपने स्तर से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना के संबंधित पदाधिकारी को अनुपालन हेतु प्रेषित करने की कृपा की जाय।

17/1/13
सरकार के उप सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।